Journal of East-West Thought
ISSN: *2168-2259 (online)*
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 1, Jan-March – 2025 Special Issue 2

Impact Factor: 7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

भारतीय लोकतंत्र में राजनैतिक दल की बदलती भुमिका –एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रा. डॉ. शशिकांत जे. चवरे, सहयोगी प्राध्यापक, राज्यशास्त्र विभाग न. मा. द. महाविद्यालय गोंदिया

सारांश

राजतंत्र सामंतशाही का विरोध करने के लिए पाश्चात्य राजनैतिक धरातल पर सुविख्यात विभिन्न क्रांतियाँ हुई। जॉन लॉक, मिल, रुसो आदि पाश्चात्य राजनैतिक चितंकों ने स्वतंत्रता को अहम स्थान दिया। फ्रेंच राजनैतिक क्रांति का स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता यह नारा था जनमत के सामने राजतंत्र एवं सामन्त तंत्र को झुकना पडा। पुंजिवाद का उगम हुआ और इसका विरोध करने के लिए मध्यम वर्ग का उगम हुआ। यही से प्रतिनिधिक शासन प्रणाली की लोकप्रियता बढने लगी। अनेक युरोपिय देशों ने लिखित संविधान के माध्यम से शासन को संचालित करने की परंपरा का आगाज किया। किंतू प्रतिनिधिक शासन प्रणाली को यथार्थ में लाने हेतु राजनैतिक दल की भुमिका के बारे में वे आशंकित थे। इसिलिए उन्होंने अपने संविधान में राजनैतिक दल का स्पष्ट तौर पर प्रावधान नही किया था। अमेरिका के संविधान निर्माताओं के बहुतांश सदस्यों ने राजनैतिक दल का कडा विरोध किया था। फेडरेलिजम एवं एन्टी फेडरेलिजम इस आधार पर ना चाहते हुये राजनैतिक दलों ने अमेरिका मे दस्तक दी।

वॉशिंग्टन, जेफरसन, गांधीजी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे आदि राजनैतिक चिंतको ने राजनैतिक दल के बारे में जो आशंका व्यक्त की थी वह वास्तविक धरातल पर सत्य प्रतीत हुई। किंतु जिस तरह से भारत मे स्वतंत्रता के पश्चात कुछ दशकों के बाद राजनैतिक दल के सदस्यों का नैतिक अध:पतन हुआ वैसे हालात अमेरिका में पैदा नही हुये। इग्लैड में अलिखित संविधान होने के बावजुद राजनैतिक दल ने जिस भुमिका का वहन किया उसी कारणवश इग्लैंड के लोकतंत्र की गरिमा अभी भी दिखाई देती है। वहाँ के विपक्ष को जो सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त है, वैसी प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त करने के लिए भारत को और इंतजार करना पडेगा।

भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 19-3 के अनुच्छेद नुसार जो राजनैतिक दल स्थापित हुये है उनमें राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं पंजीकृत राजनैतिक दल है। सत्ता प्राप्त करना यह राजनैतिक दल का प्रमुख स्वाभाविक उद्देश होता है। इसके साथ-साथ नागरिकों को राजनैतिक दृष्टीकोन से जागरुक करने की प्रमुख जिम्मेदारी भी होती है। जनहित के लिए बहुमत की सरकार होना आवश्यक है किंतु राजनैतिक निर्णय निर्धारण में विपक्ष के विरोधी स्वर को नजरअंदाज करना यह लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चीज है। गांधीजी ने संसदीय शासन प्रणाली के उपर जो आलोचना की थी वह सत्य प्रतीत होती है। बहुमत के आधार पर राजनैतिक दल बहुत से विधेयकों को ध्वनी मत से पारित करते है। स्वतंत्रतापूर्व राजनैतिक दल की भूमिका एवं स्वतंत्रता पश्चात राजनैतिक दल की भूमिका इसमें बहुत अंतर आ गया है।येनकेन प्रकारे सत्ता प्राप्त करने के लिए मतदारों को मुर्ख बनाने का काम राजनैतिक दल करते दिखलाई देते है। 2019 से 2024 तक महाराष्ट्र की राजनीति में जो राजनैतिक घटनाक्रम हुआ उससे राजनैतिक स्तर अपने निम्न स्तर पर किस तरह गया है उसका एहसास होता है।

संशोधन विषय का उद्देश

चयनित संशोधन विषय का उद्देश निम्नलिखित बिंदूओं मे प्रस्तुत किया है।

1. आधुनिक लोकतंत्र से परिचित करवाना।

2. लोकतंत्र में राजनैतिक दल की अहमियत समझना।
3. राजनैतिक दलों के गुण एवं दोषो को उजागर करना।
4. राजनैतिक दलों के बदलते परिपेक्ष को बतलाना।
5. महाराष्ट्र के 15 वे विधानसभा चुनाव में राजनैतिक दलों की नैतिकता के स्तर को उजागर करना।

संशोधन विषय की परिकल्पना

किसी भी चयनित संशोधन विषय को योग्य दिशा में मोडने हेतु परिकल्पना निर्धारित करना आवश्यक है।

प्रस्तुत संशोधन विषय की परिकल्पना निम्नलिखित है-

1. राजनैतिक दल के अभाव में आधुनिक लोकतंत्र संचालित हो सकता है।
2. स्वतंत्रतापूर्व एवं पश्चात भारत के राजनैतिक दलों में खिलाडीवृत्ती का भाव है।
3. चुनाव के मौसम में विभिन्न राजनैतिक दलों में कार्यकर्ताओं का आवागमन होता है।
4. निर्धारित राजनैतिक दल से सदस्य राष्ट्रीय एवं राज्य हितों के लिए दल बदल करते है।
5. 2019 से 2024 तक महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति स्तर के बदलते स्वरुप को प्रस्तुत करने का उत्तम उदाहरण है।

संशोधन विषय की पध्दती

प्रस्तुत संशोधन विषय संबंधी जानकारी इकठ्ठा करने हेतु व्दितीय स्त्रोतों का प्रमुखता से उपयोग किया गया है अखबार, ग्रंथसंपदा, संकेतस्थल, मॅगझीन आदि दस्ताऐवजों से जानकारी इकठ्ठा की गयी है। चयनित संशोधन विषय को न्याय देने हेतु अनुभवि, जानकार, राजनैतिक विद्वानों से चर्चा की गयी है एवं आम नागरिकों की राजनैतिक दलों के प्रति राय ली गयी है।

संशोधन विषय का महत्व

चयनित संशोधन विषय का महत्व नीचे प्रगट किया गया है।

1. संशोधन विषय के अध्ययन से राजनैतिक दलों की आधुनिक लोकतंत्र में अहमियत समझने में लाभ होगा।
2. स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर वर्तमान परिपेक्ष तक राजनैतिक दल के भुमिका को समझने में मदत होगी।
3. विचारधारा से राजनैतिक दलों की बढती दूरिया समझने हेतु चयनित संशोधन विषय लाभकारी होने की संभावना है।
4. महाराष्ट्र जैसे पुरोगामी विचारधारा से प्रेरित राज्य में राजनैतिक दल के बदलती भूमिका संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त होगी।

प्रस्तावना

लोकतंत्र यह केवल शासन का प्रकार नही तो वह समाज का प्रकार भी है। लोकतंत्र इस संज्ञा से भारत का वास्ता हजारों साल से पडा है। एकतंत्र कुलीनतंत्र एवं अभिजात गणतंत्र मे शासन की धुरा जिनके पास थी वे भी लोकतंत्र के प्रशंसक थे। प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारत के इतिहास मे शासनतंत्र के उपर लगाम था। इसके पर्याप्त ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते है। किंतू उस समय मानवतावाद का अभाव था। इस कारणवश, लोकतंत्र के तरफ देखने का नजरिया बहुत अनोखा था।

वैसे तो भारत 11 वी से 20 वी शताब्दी के मध्य तक विदेशी सत्ता के गुलामी मे था। किंतू ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में अंग्रेजो ने जिस तरह से भारत के शासन को संचालित किया उसी से राजनैतिक दल का

जन्म हुआ। ब्रिटिश शासन के संबंध मे भारतीयों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतू अंग्रेजों ने ही भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना की, 19 वे शताब्दी के उत्तरार्थ मे एवं 20 वी शताब्दी के तिसरे दशक में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने एक सामाजिक संघटना की भुमिका बखुबी निभाई। आवश्यकता पडने पर स्वतंत्रता पूर्व के, चुनावी दंगल मे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने राजनैतिक दल की भुमिका भी बेहतर ढंग से निभायी। उस दौर मे राजनैतिक दल की परिभाषा प्रस्तुत करनेवाले विद्वानों के अभिप्राय से तत्कालीन राजनैतिक दल की भुमिका मेल खाती है।

26 जनवरी 1950 को भारत संविधान अमल में लाया गया। 1952 में पहला सार्वजनिक चुनाव हुआ उस वक्त करिबन 14 राजनैतिक दल थे आज राजनैतिक दलों की संख्या हजारों मे हो गयी है। अंग्रेजी उपनिवेश काल में भारत के राजनैतिक दलों ने जो कार्य किया क्या? वैसा ही कार्य राजनैतिक दल स्वतंत्रता पश्चात से वर्तमान काल में भारत के लोकतंत्र के यात्रा में निभा रहे है इसको टटोलना अत्यंत आवश्यक है। फुले, शाहु, आंबेडकर की कर्मभुमि कहलाने वाले महाराष्ट्र में राजनैतिक दलों की भुमिका किस तरह की है और महाराष्ट्र की राजनिति भविष्य में किस तरह करवट लेगी इन प्रश्नों को खंगालने हेतु राजनितिक पक्ष का अर्थ, परिभाषा भारत के लोकतंत्र की यात्रा, राजनैतिक अनुभव, विभिन्न विचारों के राजनैतिक दलों के संबंधी विचार वर्तमान परिपेक्ष में राजनैतिक दल की बदलती भुमिका 2019 से 2024 मे महाराष्ट्र के राजनीति में आए राजनैतिक भुकंप इन सभी को जोडकर अध्ययन करने के बाद ही राजनैतिक दलों की भुमिका कैसी होनी चाहिए, कैसी है। इन प्रश्नों का सटिक उत्तर मिलने में मदत होगी। उस संबंध में मुद्दो से संबंधित चर्चाओं का दौर आगे जारी रहेगा।

अ) भारत की लोकतांत्रिक यात्रा

विकास यह निरंतर चलनेवाली प्रक्रिया है। आधुनिक लोकतंत्र में आज हम जो खुली हवा में स्वतंत्रता, समता इस आधार पर साँस ले रहे है वह इतिहास का प्रतिफल है। राजनितीक निणर्य-निर्धारण प्रक्रिया में वयस्क, प्रौढ मताधिकार के माध्यम से जो प्रवेश हुआ है उसका प्रदिर्घ इतिहास है। इस इतिहास के पन्ने पलटकर देखने पर ही आधुनिक लोकतंत्र को समझने में सहायता होगी। वर्तमानकालीन भारत के गणतंत्रात्मक लोकतंत्र के जो अस्तित्व आज है, उसके चिन्ह प्राचीन इतिहास में दिखाई देते है। गण इस शब्द का उल्लेख "ऋग्वेद में 40, अर्थवेद में 6, ब्राम्हण ग्रंथो अनेक प्रसंगो में दिखाई देता है।"[1] ऋग्वेद काल में जो सभा और समिती का उल्लेख प्राप्त होता है उसमें में भी आधुनिक लोकतंत्र के अनुरुप निर्णय-निर्धारण प्रक्रिया में उपस्थित जनों का सहभाग दिखाई देता है। किंतु उस समय उस समय के लोगों की माँग एवं आज के दौर की आकांक्षाएँ इसमें जमीन आसमान का अंतर होना अति स्वाभाविक है।

आधुनिक लोकतंत्र में 21 वी शताब्दी में जो राजनीतिक संस्थाएँ दिखाई देती है उसी तरह की राजनीतिक संस्थाएँ बौध्दकालीन कालखंडों में अस्तित्व में थी। जयस्वाल के अनुसार "राजा, उपराजा, सेनापति, भण्डागारिक"[2] आदि राजनीतिक पद का अस्तित्व बौध्दकालीन गणराज्यों में था। इन पदों का चयन योग्यता के आधार पर उपस्थित गण एवं समुहों के व्दारा किया जाता था। उस समय "शाक्याचा, भग्गोचा,वुलीवोचा, कालमोचा, कोलीयोचा, मल्लीचा, मलोचा, मल्लोचा, मौर्यचा, विदेहोचा"[3] आदि गणराज्य अस्तित्व में थे इसके पर्याप्त सबुत बौध्दकालीन साहित्यों में दिखाई देते हैं।

मध्ययुगीन काल को "लॉर्ड ब्राईस"[4] ने राजनीतिक दृष्टीकोन से शुन्य का काल कहा है। ब्राईस के इस कथन में सत्यांश दिखाई देता है। संपूर्ण विश्व में राजतंत्र एवं सामंततत्र का प्रस्त मध्ययुगीन काल में दिखाई देता है। किंतु भारत के मध्ययुगीन काल में भी लोकतांत्रिक अवशेष अपवाद स्वरुप दिखाई देते है। दक्षिण भारत में महात्मा बसवेश्वर जी ने अनुभव मंडप की रुपरेखा प्रस्तुत की थी। आज के आधुनिक संसद की तरह उसमें 770

सदस्य सम्मिलित थे और यह बडा सुखद आश्चर्य है कि इसमें "70 महिलाएँ"[5] सम्मिलित थी। उस दौर के विश्वस्तर पर इतनी बडी संख्या में महिलाओं का राजनीतिक सहभाग कहीं भी दिखाई नही देता है। सलतनत एवं मुगल काल को भारत के लोकतांत्रिक यात्रा के दृष्टिकोन से अलोकतांत्रिक कहना अतिशयोक्ती पूर्ण नही होगा।

प्रभावी केंद्रिय सत्ता का अभाव एवं अन्य कमजोरीयों कारण इस्ट इंडिया कंपनीने भारत के उपर 18 वी शताब्दी के मध्यार्थ में राजनीतिक सत्ता प्रस्थापित की। 1857 के बाद कंपनी से क्राऊन के पास सत्ता हंस्तातरित हुयी। शासन संचालित करने के अंदाज में आमुलचुल परिवर्तन हुआ। और उसी का नतीजा 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 आदि शासन सुधार अधिनियमों व्दारा आधुनिक भारत के लोकतंत्र की यात्रा का श्रीगणेश हुआ। और आगे वह विकसित होते गयी। आधुनिक लोकतंत्र का परिचय अंग्रेजों के शासन संचालन के तरिकों के कारण भारतियों को हुआ और उसमें से ही राजनीतिक दलों का दौर प्रारंभ हुआ। 1919 मॉटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून व्दारा वरिष्ठ सभागृह में सदस्य के चयन हेतु 17364 मतदारों को एवं कनिष्ठ सदन के सदस्यों को निर्वाचित करने हेतु 99874 मतदारों को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। उस समय भारत की जनसंख्या 24 करोड थी। मतदान का अधिकार यह मुख्यत: आर्थिक आधारों पर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुयी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के उद्देश्य पत्रिका के अनुसार भारत एक स्वतंत्र, सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। मुल उद्देश्य पत्रिका में "समाजवादी, पंथनिरपेक्ष"[6] इन शब्दों का प्रावधान नही है।

ब) आधुनिक लोकतंत्र से राजनीतिक दल का संबंध

इंग्लैड की स्वर्णक्रांती, फ्रांन्स की राज्यक्रांती एव अमेरिका की स्वतंत्र संग्राम की क्रांती आदि घटनाओं में 17 वी एवं 18 वी शताब्दी में लोकतंत्र का परचम बुलंद करने का काम किया। इन्हीं क्रांतियों के कारण प्रतिनिधिक शासन प्रणाली का आगाज हुआ। राजतंत्र एवं सांमतशाही का पतन प्रारंभ हो गया। आधुनिक लोकतंत्र की लोकप्रियता 20 वी शताब्दी के मध्यार्थ मे पहुँच गयी। यही से राजनीतिक दलों की आवश्यकता बढने लगी। राजनीतिक दल एवं आधुनिक लोकतंत्र इनका संबंध समझने के लिये प्रथमत: लोकतंत्र को समझना जरुरी है। लोकतंत्र की परिभाषा प्रस्तुत करनेवाले विद्वानों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय परिभाषाओं को दोहराना यहाँ जरुरी है।

1. "अब्राहम लिंकन के अनुसार -लोगों ने लोगों के लिये और लोगों व्दारा चलाया गया शासन ही लोकतंत्र है।
2. प्राध्यापक सिली के अनुसार - जिस शासन प्रणाली में लोगों को सक्रिय तौर पर सहभागी होने का मौका मिलता है उसे लोकतंत्र कहते हैं।"[7]

लिंकन एवं सिली ने राजनैतिक निर्णय निर्धारण मे जनमत को अहम स्थान दिया है। प्राचीन ग्रीक मे भी जनमत को उचित स्थान दिया गया था किंतु उस समय की परिस्थिती एवं 18 वी शताब्दीयों के उपरांत परिस्थितीओं में अंतर है। भौगोलिक सिमांएँ, जनसंख्या, जनजागृती, यातायात की साधन सामृग्री, वैज्ञानिक खोज आदि कारणों से प्रतिनिधिक शासन प्रणाली यह समय की माँग थी और उसे चयनित करने हेतु साजनैतिक दल के सिवा कोई चारा नही था। प्रतिनिधिक शासन का स्वीकार करनेवाले इंग्लड मे राजनैतिक दल का उगम वैज्ञानिक आधारों पर नही स्वभाविक रुप मे विकसित हुआ। आधुनिक लोकतंत्र राजनैतिक दलों के अभाव में किस तरह से संचालित होगा इसकी अभितक खोज नही हुयी है इसी कारणवश राजनैतिक दल को हयुबर ने "लोकतंत्र का तेल"[8] कहा है। जिस तरह कोई भी वाहन बिना इंधन के नही चल पायेगा उसी तरह राजनैतिक

दल के अभाव में लोकतंत्र संचालित करना असंभव है। राजनैतिक दल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु राजनैतिक दल के बारे में राजनैतिक विद्वानों ने जो परिभाषाएँ प्रस्तुत की उस में से चुनिंदा परिभाषाओं को समझना ज़रुरी प्रतित होता है।

1. जोसेफ शुपिंटर के अनुसार- "राजनैतिक सत्ता को प्राप्त करना और उसे कायम रखने के लिये अन्य राजनैतिक दलों से स्पर्धा करके अपना अलग अस्तित्व निर्माण करने में सदा व्यस्त रहनेवाले समुह को राजनैतिक दल कहते हैं।"[9]
2. एंडमणड बर्क - के शब्दों में" राजनैतिक दल कुछ लोगों का एक समुह है जो कुछ सिध्दातों पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों व्दारा जनहित को आगे बढाने के लिये संगठित रहता हैं।"[10]

वैश्विक स्तर एवं भारत में साक्षरता का प्रतिशत अपने चरम सिमा पर है। शिक्षा के प्रचार की तेजी विदयुत गती से बढ गयी है। अत्याधुनिक साधनों के माध्यम से विश्व बहुत छोटा हो गया है। शासन का कार्यभार लोककल्याणकारी राज्य के संकल्पना का स्विकार करने के कारण बढ गया है। इन परिवर्तनों के कारण आधुनिक लोकतंत्र की पेचीदगियो में वृध्दि हुयी है। प्राचीन एवं मध्ययुगीन काल जैसे शासन सत्ता में परिवर्तन आज के आधुनिक युग में होना असंभव सी बात है।राजनैतिक दल के अभाव में प्राचीन एवं मध्यमयुगीन काल में जिस तरह से रक्तरंजित क्रांती एवं युध्द के व्दारा सत्ता परिवर्तन होता था वैसा ही दौर सुरु हो जायेगा। इसी कारणवश आधुनिक लोकतंत्र में राजनैतिक दल ऑक्सीजन के समान है। क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र यह निर्वाचन के माध्यम संचालित होता है और जहाँ निर्वाचन हो वहाँ राजनैतिक दल का अस्तित्व होना आवश्यक है। अनुवांशिक सत्ता का दौर चला गया है। उसकी जगह निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने ली है। इसी को ध्यान में रखकर निर्वाचन संबंधी भारत के संविधान में "324 से 329 अनुच्छेद"[11] तक प्रावधान किया गया है।

क) राजनैतिक दल के संबंध में विचारकों के विचार एवं अनुभव

सद्शासन प्राप्त करना यह प्राचीन मध्यमयुगीन कालखंडो में स्थित शासन का ध्येय था। उस समय के अनुसार विभिन्न साधन एवं तंत्र व्दारा शासन को संचलित करते वक्त जनमत की भावनाओं को पुरी तरह से नज़रअंदाज़ करना इतना आसान नही था। सत्ता संचालित करते वक्त उस समय के राजाओं को सद्शासन स्थापना करने हेतु स्वयं एवं जनता को कानूनी नियंत्रण में रखना आवश्यक लगा। इसी सिलसिले को आगे बढाते हुये 17 वी एवं 19 वी शताब्दी में पाश्चात एवं भारतीय राजनैतिक चिंतकों ने उदा. हॉब्ज, लॉक, रुसो, मिल, गांधीजी इन विभूतियों समाज एवं राज्यों के बीच में समझौता होकर, कुछ शर्तो पर राज्य को बाध्यकारी साधनों का प्रयोग करने की सहुलियत दी थी। निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन से तंग आकर जनमत लोकतंत्रात्मक शासन के प्रति आकर्षित हुआ। व्यक्ति स्वतंत्रता का भाव बढने लगा इसी से प्रतिनिधिक शासन का आगाज हुआ। राजनैतिक चेतना विद्यूत गती से फैली। राष्ट्रीय स्वतंत्रता की माँग विभिन्न आधारों पर बढने लगी। उसी शृंखला में अमेरिका का नाम सबसे पहले पंक्ति में रखा जा सकता है।

"अमेरिका के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वाशिंग्टन"[12] ने राजनैतिक दल का कडा विरोध किया था। उनके साथ अमेरिका के प्रसिध्द कानुन के जानकार जेफरसन भी थे। वाशिंग्टन के मतानुसार राजनैतिक दल का प्रावधान संविधान में किया गया तो राजनैतिक दल यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय एकात्मता को खतरा खड़ा कर सकता है। भविष्य में नागरिको की सत्ता प्राप्त करने हेतु यह राजनैतिक दल किसी भी हद तक जाने की संभावना है। इसलिए "अमेरिका के संविधान में राजनैतिक दलों को स्थान नही दिया गया था।" इंग्लैड मे भी राजनैतिक दल को वैज्ञानिक मान्यता नहीं है। इन दो देशों का आदर्श सामने रखकर भारत के संविधान में

"अनुच्छेद 19-3"[13] के अनुसार संघ एवं समुदाय गठीत करने की स्वतंत्रता है। किंतु मुल संविधान में राजनैतिक दलों के बारे में स्पष्ट तौर पर संविधानिक प्रावधानों का अभाव दिखाई देता है।

राजनैतिक दल में विभिन्न गुणों के साथ मुलभुत दोष भी दिखाई देते हैं किंतु शासन व्यवस्था का रुप, सहरचना, संघटन कैसे भी हो राजनैतिक दल के अभाव में शासन को संचालित करना आधुनिक युग में असंभव है। सहसंघात्मक, अध्यक्षात्मक एवं साम्यवादी देशों में ऐतिहासिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार एक दलीय, व्दिदलीय एवं बहु दलीय राजनैतिक दल व्यवस्था है पर राजनैतिक दल की भूमिका के बारे में राजनैतिक विचारकों ने जो संदेह व्यक्त किया है उसे नज़रअंदाज़ नही किया जा सकता। "विनोबा भावे"[14] जी के मतानुसार संसदिय शासन प्रणाली जो दल प्रणाली पर आधारभुत है यह शासन सत्ता का दुरुपयोग, गुंडागर्दी एवं भ्रष्टाचार इन अलंकारों से सुशोभित है। लोकतंत्र एवं चुनाव यह एक ही सिक्के के दो पहलु है। चुनावी दंगल में किसी ना किसी राजनैतिक दल की पटकनी होगी। कोई सत्ता में विराजमान होगा तो किसी को विपक्ष में बैठना होगा। हालांकि शासन को संचालित करने का महत्वपूर्ण काम सत्तारुढ दल करता है। किंतु उसकी शासन सत्ता को निरंकुश होने से रोकने का काम विपक्ष बखुबी कर सकता है। बिना विपक्ष के लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा। इसलिए "सर आयव्हर जेनिंग"[15] ने विपक्ष की भुमिका को अहम् स्थान दिया है। किंतु विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को निभाते वक्त गैरज़रुरी वक्तव्य, सभा त्याग एवं घेराव इससे बचना चाहिए। इन साधनों का उपयोग राष्ट्रीय हितों के आधार पर करना चाहिए ऐसा सुझाव संविधान के शिल्पकार "डॉ. बी.आर. आंबेडकर जी"[16] ने दिया है।

सद्‌शासन एवं सुशासन निर्माण करना यह आतंरिक चुनौती हर दौर में दिखाई देती है। अन्याय एवं अत्याचार करनेवाला निरंकुश राजा, प्रजा के हाथो से छुट जाने के उदाहरणों से इतिहास भरा पडा है। क्योंकि राजा के सुसंघटित प्रभाव के सामने प्रजा असंघटित थी। प्रबोधन युग की चिंगारी ने सामाजिक क्रांति की मशाल जलाई। जनता ने राजतंत्र के आतंक को खत्म करवाने हेतु लोकतंत्र को आमंत्रित किया है। लोकतंत्र के साथ संसदिय शासन प्रणाली भी उपजी पर इसे संचालित करवाने के लिये राजनैतिक दल यह सामाजिक क्रांति का माध्यम होगा क्या ? यह प्रश्न है। राजनैतिक दल ने प्रबोधन के माध्यम से नागरिकों के बीच दुरिया कम करनी चाहिए पर राजनैतिक रोटी सेखने के लिये दुरिया बढाने का काम दल प्रणाली करते हुये दिखाई देती है। इसका गांधीवादी विचारों के अनुयायियों ने खुलकर विरोध किया है। "जयप्रकाश नारायण जी"[17] के अनुसार राजनैतिक दल संपत्ती, संघटना एवं प्रचार के माध्यम से मतदाताओं को लुभाते हैं, भ्रमित करते हैं, जोर जबरदस्ती से अपनो मतों को थोपते हैं। इसी कारणवश वर्तमान परिपेक्ष लोकतंत्र यह दलीयतंत्र बन गया है। जो जनप्रतिनिधी जनता के समस्याओं को संसद में रखता है, उनका चयन करने में राजनैतिक दलों की भुमिका अहम होती है। मतदार केवल राजनैतिक दलों व्दारा थोपे गये चुनावी उमेदवारों को अपना समर्थन देती है।

ड) स्वतंत्रतापूर्व एवं पाश्चात्य राजनैतिक दलों की स्थिति

उन्नत शासन के लिए जनमत की प्रतिक्रिया प्राप्त करना जरुरी होता है। इसी बात को ध्यान मे रखकर ब्रिटिश सरकारने "1985"[18] मे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस को गठीत करने का काम किया। आगे चलकर इसी मंच से ब्रिटिश सरकार को उनके कामकाज संबंधी जनता के प्रतिसाद की जानकारी इकट्ठा करने मे बहुत सहायता हुयी। 1937 के पहले भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की भुमिका राजनैतिक दल से ज्यादा सामाजिक संघटन के रुप मे थी। 1937 के बाद चुनावी दंगल मे भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करवाने का श्रेय भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस को जाता है। ऐसी छवी स्वतंत्रता पश्चात भारतीयो में निर्माण

हुयी थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में करिबन 14 राजनैतिक पक्ष थे। इसीलिए 1952 से लेकर, 1984 तक लोकसभा के चुनाव में काँग्रेस का ही बोलबाला था।

1977 से 1980 मे जनता पार्टी ने केंद्र मे काँग्रेस को सत्ता से दुर रखने में बडी कामयाबी हासिल की लेकिन राजनैतिक स्वार्थ के कारण जनता पार्टी कुछ ही सालों मे फुट गया इसमें सम्मिलित जनसंघ के नेताओं ने "1980"[19] मे भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। 1990 के बाद भारतीय राजनैतिक काँग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी इस प्रमुख राजनैतिक दलों के इर्दगिर्द मंडराती हुयी दिखाई देती है। इन प्रमुख दलो का गुट ही केंद्र एवं बहुतांश राज्यों में राजनैतिक सत्ता पर हावी है। हालांकि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में बहुदल प्रणाली निर्माण होना स्वाभाविक है। वर्तमान स्थिति "भारत में 6 राष्ट्रीय दल, 56 प्रादेशिक दल एवं 2796 पंजीकृत राजनैतिक दल"[20] विद्धमान है। बहुदल प्रणाली अस्तित्व में होने के बावजुद इंग्लैड, अमेरिका जैसे दो दल प्रभावी दिखाई देते है। देश की राजनिति व्दिदल प्रणाली के तरफ जाते हुये दिखाई देती है।

निष्कर्ष एवं मुल्यांकन

श्रेष्ठतम जीवन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुकुल, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक पर्यावरण निर्माण करने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य पर होती है। इसी उत्तरदायित्व को निभाने के लिये चयनित संशोधन विषय में राजनैतिक दल यह अध्ययन का केंद्र बिंदु थे। उसी से संबंधित विभिन्न बिंदुओं के आधार पर जो विचार विमर्श किया गया उसके आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष तक पहुँचा जा सकता है।

1. आधुनिक लोकतंत्र को राजनैतिक दल के शिवाय संचालित करना असंभव सा प्रतीत होता है। प्रतिनिधिक लोकतंत्र को वास्तविक धरातल पर लाने के लिये चुनाव अनिवार्य है। जहाँ सार्वत्रिक चुनाव का प्रावधान हो वहा राजनीतिक दल अत्यावश्यक है। इसी कारणवश बिना राजनैतिक दल के आधुनिक लोकतंत्र के बारे में सोचना असंभव है।
2. राजनैतिक दल का उगम ब्रिटिश उपनिवेश काल मे हुआ किंतु स्वतंत्रता पश्चात कुछ दशकों को छोड दिया जाये तो राजनैतिक दल को सदस्यों का नैतिक स्तर का दिन-ब-दिन ऱ्हास हो रहा है।
3. जिस राजनैतिक दल चुनाव में जितने की गारंटी हो ऐसे राजनैतिक दलों में चुनावी मौसम में चुनावी उम्मेदवारों का प्रवेश होता है। दल बदल कानुन 1985 के कानुनी प्रावधानों को राजनैतिक दल के अंतर्गत गुटों के अपने आवश्यकता नुसार उपयोग करके कानुन की धज्जीयाँ उडायी जाती है। उनके इस कार्य को सत्तारुढ पक्ष एवं न्यायालयों ने साथ दिया है यह दिखाई देता है।
4. 'सत्ता' अधिसत्ता में रुपांतरीत होने हेतु प्रयासरत रहती है। इसी अधिसत्ता के आकर्षण से आकर्षित होकर मतदारों के आदेश को झुठलाकर विपक्ष सरकारों में सामिल होने के लिये मौके की तलाश में रहता है। इसी कारणवश मज़बुत विपक्ष के अभाव में भारतीय लोकतंत्र कमजोर हो रहा है।
5. चुनाव लढते वक्त राजनैतिक दल परस्पर विरोधी मुद्दों के आधार पर चुनाव लढते है। इसी चुनावी मौसम में मतदार भी राजनैतिक दलों आधार पर विभाजित होता है। शायद यह विभाजन मतदारों में प्रदिर्घकाल तक दिखाई देता है। किंतु आकडों की राजनीति के खेल में राजनीतिक दल अपने परस्पर विद्वेश की भावनाओं को दुर रखकर सत्ता का स्वाद चखने हेतु आपस में मिल जाते है। इसका ज्वलंत उदाहरण 2019 से 2024 तक महाराष्ट्र में घटित राजनैतिक घटनाक्रम है।

संदर्भग्रंथ सुची

1. शर्मा हरीशचंद्र, "प्राचीन भारतीय राजनितिक विचार एवं संस्थाएं", कॉलेज बुक डेपो, जयपूर, 1970, पृ.क्र.238.
2. संपादक त्यागी रुची, "प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का राजनितिक चिंतन", हिंदी माध्यम कार्यान्व निर्देशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2016, पृ.क्र. 87.
3. त्रिपाठी ममता मणि, "भारत की लोकतांत्रिक यात्रा एवं चुनाव", राधा पब्लिकेशन्स, नवी दिल्ली, 2012, पृ.क्र. 20-21.
4. शर्मा उर्मिला व शर्मा एच.के., "पाश्चात्य राजनैतिक चिन्तन", एटलांटिक पब्लिकेशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्युटर्स, नई दिल्ली, 2010, पृ.क्र. 278.
5. मोगलेवार सुधाकर सोमेश्वर, "बसवण्णा", अ.भा. मराठी वीरशैव साहित्य मंडळ, नागपूर, 2005, पृ.क्र. 55.
6. शर्मा एच.सी., "भारत में शासन और राजनिति", ओमेगा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, 2011, पृ.क्र. 136.
7. लोटे रा.ज., “राज्यशास्त्रीय सिध्दांत", पिंपळापुरे ॲण्ड कं. पब्लिशर्स, नागपूर, 2010, पृ.क्र. 154.
8. फडिया बी.एल., "तुलनात्मक राजनिति", साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2010, पृ.क्र.125.
9. हाशम शेख व गवई डॉ. जोगेद्र, "तुलनात्मक शासन आणि राजकारण", विश्व पब्लिशर्स ॲंड डिस्ट्रिब्युटर्स, नागपूर, 2004, पृ. क्र. 210.
10. फडिया बी.एल., "तुलनात्मक राजनिति", साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2010, पृ.क्र.126.
11. शर्मा एच.सी., "भारत में शासन और राजनिति", ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2011, पृ.क्र.239.
12. लोटे रा.ज., “तुलनात्मक शासन आणि राजकारण" पिंपळापुळे ॲण्ड कं. पब्लिशर्स, नागपूर, 2010, पृ. क्र. 253.
13. शर्मा एच.सी., "भारत में शासन और राजनिति", ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2011, पृ.क्र.119.
14. भोळे भाष्कर लक्ष्मन, "आधुनिक भारतातीतल राजकीय विचार", पिंपळापुळे ॲण्ड कंपनी पब्लिशर्स, नागपूर, 2003, पृ. क्र.500.
15. गोस्वामी भालचंद्र, "लोकतंत्र व विधानमंडल", पॉइंटर पब्लिशर्स, जयपूर, 2005, पृ. क्र. 223.
16. भोळे भाष्कर लक्ष्मन, "आधुनिक भारतातीतल राजकीय विचार", पिंपळापुळे ॲण्ड कंपनी पब्लिशर्स, नागपूर, 2003, पृ. क्र.835.
17. कित्ता पृ.क्र. 530.
18. शर्मा एच.सी., "भारत में शासन और राजनिति", ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2011, पृ.क्र.38.
19. बंग के.आर., "महाराष्ट्र शासन व राजकारण", विद्या बुक्स पब्लिशर्स, औरंगाबाद, 2013, पृ.क्र.373
20. www.jagransosn.com